

जिलाधिकारी कार्यालय, पटना।

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक _____/गो०, पटना, दिनांक

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार, भा०प्र०से०
जिलाधिकारी, पटना।

सेवा में,

स्थापना उप समाहर्ता,
पटना।

विषय:—

स्थानांतरण आदेश का अनुपालन कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आदेश ज्ञापांक 2302/स्था० दिनांक 29.06.2013, 2299/स्था० दिनांक 29.06.2013 एवं 2298/स्था० दिनांक 29.06.2013 द्वारा समाहरणालय अन्तर्गत क्रमशः लिपिक, प्रधान लिपिक एवं राजस्व कर्मचारी को स्थानांतरित करते हुए विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानांतरित कर्मियों को 10.07.2013 के पूर्व नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान देना है। साथ ही अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रधान एवं कर्मियों के विरुद्ध जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है।

निदेश दिया जाता है कि समाहरणालय अवस्थित सभी शाखाओं से समन्वय स्थापित कर स्थानांतरण आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन दिनांक 10.07.2013 के पूर्व निश्चित रूप से सुनिश्चित कराया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए भी प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,

sd -

(डॉ० एन० सरवण कुमार)

जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 6289/गो०, पटना, दिनांक 04.7.2013

प्रतिलिपि :- सभी वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, समाहरणालय स्थित शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।